मनरेगा कार्यस्थल पर 50 से कम श्रमिकों को नियोजन ही करावें - आयुक्त मनरेगा

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
J-18-03-2020-3.docx (http://103.203.138.54/news/195268/document/J-18-03-2020-3.docx)

DESCRIPTION

मनरेगा कार्यस्थल पर 50 से कम श्रमिकों को नियोजन ही करावें
- आयुक्त मनरेगा

जयपुर 18 मार्च। महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त श्री पी.सी. किशन ने सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलक्टर्स को पत्र लिख कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने एवं सावधानी बरतने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 मार्च को जारी निर्देश में 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 31 मार्च तक प्रतिबन्ध लगाया गया है के अनुसार अपने-अपने जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर 50 से कम श्रमिकों को ही नियोजन करने की आवश्यक कार्यवाही करावें।

श्री किशन ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के संबंध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश जारी कर दिये है जिसमें जीवाणुओं से फैलाव को कम करने के लिए श्रमिकों को अपने हाथों को साफ करने के संबंध में मेटों के माध्यम से जानकारी दिये जाने हेतु जमीनी स्तर के समस्त कार्मिकों को श्रामिकों के कार्यस्थल पर पहुँचन पर, दोपहर के भोजन से पहले एवं भोजन पश्चात् साबुन से हाथ धोने हेतु भी निर्देशित करावें।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे तथा कार्यस्थलों का निरीक्षण कर कोरोना वायरस की एडवायजरी की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुपरवाईज किया जाना सुनिश्चित करावें।

SUPPORTING IMAGES